**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3809**
**दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**असम समझौते का कार्यान्वयन**

**†3809. श्री तपन कुमार गगोईः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने असम समझौता के खंड 6 को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए हैं; और**
**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): असम समझौता, 1985 पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, इस समझौते के खंड 6 में परिकल्पित असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और विरासत को संरक्षित, परिरक्षित और संवर्धित करने के लिए अनेक उपाय किए गए थे। इन उपायों में 20.35 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता से श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र परिसर की स्थापना; गुवाहाटी में ज्योति चित्रबन फिल्म स्टूडियो सोसायटी का आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन; असम के 359 सत्रों को 69.45 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता; 14 ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास हेतु 10.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता; राज्य की स्थानीय भाषा, कला और संस्कृति के विकास के संबंध में अनुसंधान के उद्देश्य से आनंदराम बरुआ इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट

एंड कल्चर असम (एबीआईएलएसी) नामक स्वायत्त संस्थान की स्थापना और तेजपुर तथा सिलचर में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल हैं।

भारत सरकार ने समझौते के खंड 6 का कार्यान्वयन करने, असम के लोगों के लिए असम विधानसभा और स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण के उपयुक्त स्तर का आकलन करने और असमी तथा असम की अन्य स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए वर्ष 1985 से की गई कार्रवाइयों की प्रभावकारिता की जांच करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले असम के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति असमिया लोगों के लिए असम सरकार के अंतर्गत रोजगार में आरक्षण के उपयुक्त स्तर की सिफारिश करेगी और असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान और विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आवश्यक अन्य उपायों का सुझाव देगी।

*****